

न्यायालय— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर म0प्र0

संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2023

क्रमांक—25 / 2023

छतरपुर, दिनांक 10.06.2023

मैं डॉ. रविकांत सोलंकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 14 एवं 15 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के पालन में इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त आपराधिक कार्य विभाजन आदेश को अतिष्ठित (Supersede) करते हुए जिला छतरपुर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट को निम्नानुसार अधिकार क्षेत्र आवंटित करते हुए जिला छतरपुर से उत्पन्न होने वाले प्रकरणों में विधिवत् संज्ञान लेने एवं समस्त अनुषांगिक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

यह कार्य विभाजन आदेश प्रसारित होते ही तत्काल प्रभावशील होगा।

क्रं	मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1.	डॉ. रविकांत सोलंकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला—छतरपुर (म0प्र0)	1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा अंतरित मामले। 5. 2. पुलिस थाना सिटी कोतवाली छतरपुर, सिविल लाईन छतरपुर, पुलिस थाना ओरछा रोड एवं यातायात से संबंधित आपराधिक प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियों, एवं अपराधों का संज्ञान (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध के मामले एवं घरेलू हिंसा से संबंधित मामले छोड़कर) 3. नगर पालिका परिषद छतरपुर द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दाण्डिक मामलों की समस्त कार्यवाहियाँ। 4. पुलिस थाना सिटी कोतवाली, सिविल लाईन छतरपुर, ओरछा रोड, मातगुंवा, चौकी पड़रिया, गढ़ीमलहरा एवं महाराजपुर क्षेत्र से संबंधित आबकारी विभाग से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण। 5. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम से संबंधित मामले। 6. पुलिस थाना सिटी कोतवाली छतरपुर, सिविल लाईन छतरपुर, ओरछा रोड, मातगुंवा, चौकी पड़रिया, गढ़ीमलहरा एवं महाराजपुर क्षेत्र के मेटल हेल्थ से संबंधित मामले। 7. संपूर्ण छतरपुर जिला से संबंधित खारिजी प्रकरण। 8. जिला छतरपुर से उद्भूत अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरण व अन्य ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस कार्यविभाजन पत्रक द्वारा अन्य किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवंटित नहीं किया गया है। 9. वन परिक्षेत्र छतरपुर के छतरपुर, मातगुंवा, महाराजपुर, गढ़ीमलहरा, बसारी, वन परिक्षेत्र छतरपुर के नौगांव, अलीपुरा, ईशानगर एवं हरपालपुर से उद्भूत वन अपराध, वन परिक्षेत्र लवकुशनगर क्षेत्र के लवकुशनगर, चंदला, सरवई, बारीगढ़, राजनगर, खजुराहो, बमीठा एवं चन्द्रनगर बफर क्षेत्र से उद्भूत वन अपराध, वन परिक्षेत्र बिजावर क्षेत्र के सटई, देवरा, जटाशंकर, पिपट एवं किशनगढ़ बफर जोन से उद्भूत वन अपराध, वन परिक्षेत्र बड़ामलहरा क्षेत्र के गुलगंज (दरगंवा), भगंवा एवं वन परिक्षेत्र बाजना के बड़ागांव, घुवारा से उद्भूत वन अपराध एवं वन परिक्षेत्र बक्सवाहा के हीरापुर, निवाड़, बाजना से उद्भूत वन अपराध एवं उक्त संपूर्ण जिले से वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the Special Tiger Strike force units को

		<p>छोड़कर) से संबंधित प्रकरण।</p> <p>नोट— (Forest laws and Mining Laws के प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के मेमोरेण्डम क्र० सी/1864/111-6-6-90 जबलपुर दिनांक 27.04.17 में दिये गये निर्देशानुसार कार्य विभाजित किये गये)</p> <p>10. पुलिस थाना सिटी कोतवाली छतरपुर, सिविल लाईन छतरपुर से संबंधित खनिज विधियों से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>11. संपूर्ण जिले से उद्भूत ऐसे ओवर लोडिंग के समस्त प्रकरण एवं ऐसे प्रकरण जिनमें एक धारा में 10,000/- रुपये से अधिक का जुर्माना होना है का विचारण।</p> <p>12. संपूर्ण छतरपुर जिला में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित प्रकरणों से संबंधित धारा-410 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।</p> <p>13. पुलिस थाना सिटी कोतवाली छतरपुर, सिविल लाईन छतरपुर, ओरछा रोड, मातगुंवा, चौकी पड़रिया, गढ़ीमलहरा, महाराजपुर एवं सटई की चौकी पड़रिया से उद्भूत होने वाले Environment (Protection) Act, 1986 से संबंधित परिवाद प्रकरण एवं उक्त अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p>
2.	श्री दीपक चौधरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-छतरपुर (म0प्र0)	<p>1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2. पुलिस थाना-महाराजपुर से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं प्राइवेट परिवाद एवं प्राइवेट प्रकरणों की समस्त कार्यावाहियां एवं अपराधो का संज्ञान (खारिजी एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलो को छोड़कर)</p> <p>3. पुलिस थाना-महाराजपुर से संबंधित धारा-176 (5) एवं 176 (1-ए) दं0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जांच।</p> <p>4. पुलिस थाना महाराजपुर क्षेत्र से संबंधित खनिज विधियों से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>5. पुलिस थाना-कोतवाली छतरपुर, सिविल लाईन छतरपुर, महाराजपुर, गढ़ीमलहरा, ओरछा रोड, मातगुंवा एवं थाना-सटई की पड़रिया चौकी से संबंधित आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण।</p> <p>6. पुलिस थाना-कोतवाली छतरपुर, सिविल लाईन छतरपुर, महाराजपुर, गढ़ीमलहरा, ओरछा रोड, मातगुंवा एवं थाना-सटई की पड़रिया चौकी से संबंधित कृषि उपज मण्डी अधिनियम के प्रकरण।</p> <p>7. पुलिस थाना महाराजपुर एवं थाना सिटी कोतवाली छतरपुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्राइवेट परिवाद।</p> <p>8. सिटी कोतवाली छतरपुर के प्राइवेट परिवादों एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यावाहियां (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध के मामलो को छोड़कर)</p>
3	श्री दीपक चौधरी न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय जिला-छतरपुर (म0प्र0)	<p>1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p> <p>2. जनपद पंचायत छतरपुर के थाना क्षेत्राधिकार से उद्भूत ग्राम न्यायालय छतरपुर के क्षेत्रांतर्गत विचाराधीन समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद एवं ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित अन्य प्रकरण की समस्त कार्यावाहियां।</p>
4.	श्री महेंद्र सिंह रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-छतरपुर (म0प्र0)	<p>1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2. पुलिस थाना मातगुंवा से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं पुलिस थाना मातगुंवा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न प्राइवेट परिवाद एवं प्राइवेट प्रकरणों की समस्त कार्यावाहियां एवं अपराधो का संज्ञान (खारिजी एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध के मामलो को छोड़कर)</p>

		<p>3. पुलिस थाना मातगुवां से संबंधित धारा-176 (5) एवं 176 (1-ए) दं0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जांच।</p> <p>4. पुलिस थाना मातगुवां एवं ओरछा रोड छतरपुर म0प्र0 के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्राइवेट परिवाद।</p> <p>5. पुलिस थाना मातगुवां से संबंधित खनिज विधियों से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>6. केन्द्रीय एवं श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण (लेबर कोर्ट द्वारा विचारणीय मामलो को छोड़कर)</p> <p>अ. न्यूनतम मजदूरी, वेतन अधिनियम-1948 (1948 क-11)</p> <p>ब. मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 (1936 क-4)</p> <p>स. बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन अधिनियम 1976) (1976 क-25)</p> <p>द. सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम-1976 (1976 क-25) उपरोक्त अधिनियम से संबंधित संपूर्ण जिला छतरपुर के क्षेत्रांतर्गत से संबंधित प्रकरण।</p>
5.	श्री अरविंद गुर्जर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-छतरपुर (म0प्र0)	<p>1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2. महिला पुलिस थाना छतरपुर, पुलिस थाना कोतवाली छतरपुर, सिविल लाईन छतरपुर, महाराजपुर, गढ़ीमलहरा, ओरछा रोड़, मातगुवां एवं थाना-सटई की पड़रिया चौकी से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध के मामले में आपराधिक प्रकरणों एवं प्राइवेट परिवाद एवं प्राइवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियां एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी के मामले को छोड़कर)</p> <p>3. महिला पुलिस थाना छतरपुर, पुलिस थाना-कोतवाली छतरपुर, सिविल लाइन छतरपुर एवं ओरछा रोड़, थाना महाराजपुर, पुलिस थाना गढ़ीमलहरा, पुलिस थाना मातगुवां, थाना सटई की चौकी पड़रिया से संबंधित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकार के मामले।</p> <p>4. न्यायालय छतरपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत पी0सी0 एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>5. पुलिस थाना-मातगुवां, चौकी पड़रिया, गढ़ीमलहरा एवं महाराजपुर से संबंधित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं दं0प्र0सं0 की धारा-125 व 128 से संबंधित समस्त प्रकरण।</p>
6.	श्री अनुराग सिंह सुमन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-छतरपुर (म0प्र0)	<p>1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2. पुलिस थाना गढ़ीमलहरा से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं पुलिस थाना गढ़ीमलहरा के प्राइवेट परिवाद एवं प्राइवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियां एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध के मामले को छोड़कर)</p> <p>3. पुलिस थाना गढ़ीमलहरा, पुलिस थाना कोतवाली छतरपुर एवं सिविल लाईन छतरपुर से संबंधित धारा- 176 (5) एवं 176 (1-ए) दं0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जांच।</p> <p>4. पुलिस थाना गढ़ीमलहरा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्राइवेट परिवाद।</p> <p>5. पुलिस थाना गढ़ीमलहरा से संबंधित खनिज विधियों से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>6. पुलिस थाना सिविल लाइन एवं पुलिस थाना ओरछा रोड़ के प्राइवेट</p>

		<p>परिवाद एवं प्राइवेट प्रकरणों की समस्त कार्यावाहियां एवं अपराधो का संज्ञान (खारिजी, धारा-138 एन.आई. एक्ट एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध के मामलो को छोड़कर)</p> <p>7. मुख्यालय छतरपुर में रिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के रिक्त न्यायालय के आपराधिक प्रकरणों से संबंधित अपील/रिवीजन में वरिष्ठ न्यायालयों से/माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेश/निर्देश एवं स्थाई गिरफ्तारी वारंटों संबंधी कार्यावाहियां आदि।</p>
7.	श्रीमती प्रियंका चौहान डाबर प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड छतरपुर जिला-छतरपुर (म0प्र0)	1. संपूर्ण जिले से उद्भूत होने वाले किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण।
8.	श्री राजू सिंह डाबर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला-छतरपुर (म0प्र0)	<p>1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2. पुलिस थाना सटई की चौकी पड़रिया से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं पुलिस थाना सटई की चौकी पड़रिया के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न प्राइवेट परिवाद एवं प्राइवेट प्रकरणों की समस्त कार्यावाहियां एवं अपराधो का संज्ञान (खारिजी एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध के मामलो को छोड़कर)</p> <p>3. पुलिस थाना सटई की चौकी पड़रिया से संबंधित धारा- 176 (5) एवं 176 (1-ए) दं0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत मृत्यु के कारणो की जांच।</p> <p>4. पुलिस थाना सटई की चौकी पड़रिया के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्राइवेट परिवाद।</p> <p>5. पुलिस थाना सटई की चौकी पड़रिया से संबंधित खनिज विधियों से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>6. पुलिस थाना सिविल लाइन छतरपुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्राइवेट परिवाद।</p>
9.	श्रीमती अन्नपूर्णा भदौरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-छतरपुर (म0प्र0)	1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा अंतरित मामले।
10	श्री ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, लवकुशनगर, जिला-छतरपुर म0प्र0	<p>1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2. पुलिस थाना लवकुशनगर व चंदला से संबंधित आपराधिक प्रकरणो एवं प्राइवेट परिवाद एवं प्राइवेट प्रकरणों की समस्त कार्यावाहियां एवं अपराधो का संज्ञान।(खारिजी के मामलों को छोड़कर)</p> <p>3. पुलिस थाना-चंदला एवं लवकुशनगर से संबंधित धारा-176 (5) एवं 176 (1-ए) दं0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत मृत्यु के कारणो की जांच।</p> <p>4. पुलिस थाना लवकुशनगर, गोयरा, प्रकाश बम्हौरी, सरबई, गौरिहार, जुझारनगर, चंदला एवं हिनौतो के क्षेत्र से संबंधित खनिज विधि, पर्यावरण विधि, आबकारी वृत्त एवं मेंटल हेल्थ से संबंधित मामले।</p> <p>5. लवकुशनगर क्षेत्र के नगर पालिका अधिनियम से उद्भूत होने वाले समस्त दांडिक मामले।</p>

		<p>6. तहसील लवकुशनगर के समस्त थाना क्षेत्राधिकार से उद्भूत Environment (Protection) Act, 1986 से संबंधित परिवाद प्रकरण एवं उक्त अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>7. उक्त न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत पुलिस थानों से उत्पन्न होने वाले धारा-138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रायवेट परिवाद।</p>
11.	श्रीमती दीक्षा तनेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, लवकुशनगर जिला-छतरपुर (म0प्र0)	<p>1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2. पुलिस थाना सरवाई एवं बंशिया से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं प्राइवेट परिवाद एवं प्राइवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियां एवं अपराधों का संज्ञान।(खारिजी के मामलों को छोड़कर)</p> <p>3. पुलिस थाना-लवकुशनगर, जुझारनगर, चंदला, बंशिया, गोयरा, प्रकाश बम्हौरी, सरवाई, गौरिहार एवं हिनौता से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों के मामलों में आपराधिक प्रकरणों एवं प्राइवेट परिवादों की समस्त कार्यवाहियां एवं अपराधों का संज्ञान।</p> <p>4. पुलिस थाना-लवकुशनगर, जुझारनगर, चंदला, बंशिया, सरवाई, हिनौता, गौरिहार, गोयरा व प्रकाश बम्हौरी से संबंधित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं द0प्र0सं0 की धारा-125 व 128 से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>5. पुलिस थाना-बंशिया एवं सरवाई से संबंधित धारा-176 (5) एवं 176 (1-ए) दं0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जांच।</p> <p>6. उक्त न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत पुलिस थानों से उत्पन्न होने वाले धारा-138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रायवेट परिवाद।</p>
12.	श्री हेमंत मेहरा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, लवकुशनगर, जिला-छतरपुर (म0प्र0)	<p>1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2. पुलिस थाना हिनौता, गौरीहार व प्रकाश बम्हौरी से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं प्राइवेट परिवाद एवं प्राइवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियां एवं अपराधों का संज्ञान (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध एवं खारिजी के मामलों को छोड़कर)।</p> <p>3. पुलिस थाना हिनौता, गौरीहार व प्रकाश बम्हौरी से संबंधित धारा-176 (5) एवं 176 (1-ए) दं0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जांच।</p> <p>4. न्यायालय लवकुशनगर के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत पी0सी0 एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>5. उक्त न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत पुलिस थानों से उत्पन्न होने वाले धारा-138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रायवेट परिवाद।</p>
13.	श्री आशुतोष अग्निहोत्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लवकुशनगर, जिला छतरपुर म0प्र0	<p>1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2. पुलिस थाना-जुझारनगर व पुलिस थाना-गोयरा से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं प्राइवेट परिवाद एवं प्राइवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियां एवं अपराधों का संज्ञान (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध एवं खारिजी के मामलों को छोड़कर)।</p> <p>3. पुलिस थाना-जुझारनगर व पुलिस थाना-गोयरा से संबंधित धारा-176 (5) एवं 176 (1-ए) दं0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जांच।</p>

		<p>4. उक्त न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत पुलिस थानों से उत्पन्न होने वाले धारा-138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रायवेट परिवाद।</p> <p>5. पुलिस थाना-लवकुशनगर, गोयरा, प्रकाश बम्हौरी, सरबई, गौरिहार, जुझारनगर, चंदला, नेहरा एवं हिनौता से संबंधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं दुकान स्थापना अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p>
14.	श्रीमती चंचल बुंदेला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिजावर जिला-छतरपुर (म0प्र0)	<p>1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2. पुलिस थाना किशनगढ़, बिजावर एवं शाहगढ़ से संबंधित आपराधिक प्रकरणों व प्राइवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियों एवं अपराधों का संज्ञान (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध एवं खारिजी के मामले को छोड़कर)</p> <p>3. पुलिस थाना किशनगढ़, बिजावर एवं शाहगढ़ से संबंधित धारा 176(5) एवं 176(1-ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच।</p> <p>4. पुलिस थाना बिजावर, शाहगढ़, सटई (चौकी पड़रिया को छोड़कर), गुलगंज, पिपट, किशनगढ़ क्षेत्र से संबंधित खनिज विधि से संबंधित मामलों की अधिकारिता।</p> <p>5. पुलिस थाना बिजावर, शाहगढ़, गुलगंज, सटई (चौकी पड़रिया को छोड़कर), पिपट, किशनगढ़ से संबंधित पर्यावरण विधि, आबकारी वृत्त एवं मेन्टल हेल्थ से संबंधित मामलों की अधिकारिता।</p> <p>6. उक्त न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत पुलिस थानों से उत्पन्न होने वाले धारा-138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रायवेट परिवाद।</p> <p>7. तहसील बिजावर के समस्त थाना क्षेत्राधिकार से उद्भूत Environment (Protection) Act, 1986 से संबंधित परिवाद प्रकरण एवं उक्त अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p>
15.	श्रीमती चंचल बुंदेला, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय तहसील-बिजावर (म0प्र0)	<p>1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p> <p>2. जनपद पंचायत बिजावर के थाना क्षेत्राधिकार से उद्भूत ग्राम न्यायालय बिजावर के क्षेत्रांतर्गत विचाराधीन समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद एवं ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित अन्य प्रकरण की समस्त कार्यवाहियां।</p>
16.	श्री भूपेंद्र गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिजावर जिला-छतरपुर (म0प्र0)	<p>1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2. पुलिस थाना गुलगंज, पुलिस थाना सटई (चौकी पड़रिया को छोड़कर) एवं पुलिस थाना पिपट से संबंधित आपराधिक प्रकरणों व प्राइवेट परिवाद व प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियों एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी मामलों को छोड़कर)</p> <p>3. पुलिस थाना बिजावर, शाहगढ़, सटई (चौकी पड़रिया को छोड़कर), गुलगंज, पिपट, किशनगढ़ से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों के मामलों में आपराधिक प्रकरणों एवं प्राइवेट परिवाद की समस्त कार्यवाहियां एवं अपराधों का संज्ञान।</p> <p>4. पुलिस थाना बिजावर एवं शाहगढ़, गुलगंज, सटई (चौकी पड़रिया को छोड़कर), पिपट, किशनगढ़ से संबंधित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं दं.प्र.सं. की धारा-125 एवं 128 से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>5. पुलिस थाना गुलगंज, पिपट एवं सटई (चौकी पड़रिया को छोड़कर) से संबंधित धारा 176(5) एवं 176(1-ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत</p>

		<p>मृत्यु कारणों की जांच।</p> <p>6. न्यायालय बिजावर के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत पी. सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>7. बिजावर क्षेत्र के नगर पालिका अधिनियम से उद्भूत होने वाले समस्त दांडिक मामले।</p> <p>8. उक्त न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत पुलिस थानों से उत्पन्न होने वाले धारा-138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रायवेट परिवाद।</p>
17.	श्री विष्णुकांत मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बड़ामलहरा, जिला-छतरपुर (म0प्र0)	<p>1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2. पुलिस थाना बड़ामलहरा एवं बमनौरा से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं प्राइवेट परिवाद व प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियां (खारिजी के मामले को छोड़कर)।</p> <p>3. पुलिस थाना-बड़ामलहरा, बमनौरा एवं भगवां से संबंधित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं दं0प्र0सं0 की धारा-125 व 128 से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>4. पुलिस थाना-बड़ामलहरा, बमनौरा व भगवां से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों के मामले में आपराधिक प्रकरणों एवं प्राइवेट परिवादों की समस्त कार्यवाहियां एवं अपराधों का संज्ञान।</p> <p>5. पुलिस थाना-बड़ामलहरा एवं बमनौरा से संबंधित धारा-176 (5) एवं 176 (1-ए) दं0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जांच।</p> <p>6. न्यायालय बड़ामलहरा के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत पी0सी0 एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>7. उक्त न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत पुलिस थाना से उत्पन्न होने वाले धारा-138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रायवेट परिवाद।</p> <p>08. तहसील बड़ामलहरा के समस्त थाना क्षेत्राधिकार से उद्भूत Environment (Protection) Act, 1986 से संबंधित परिवाद प्रकरण एवं उक्त अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>09. पुलिस थाना-बड़ामलहरा, पुलिस थाना बमनौरा व पुलिस भगवां के क्षेत्र से संबंधित खनिज विधि, पर्यावरण विधि, आबकारी वृत्त एवं मेन्टल हेल्थ से संबंधित मामले।</p>
18.	श्री अभिषेक दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़ामलहरा जिला-छतरपुर (म0प्र0)	<p>1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2. पुलिस थाना-भगवां से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं प्राइवेट परिवाद व प्राइवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियां एवं अपराधों का संज्ञान (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध एवं खारिजी के मामले को छोड़कर)।</p> <p>3. पुलिस थाना-भगवां से संबंधित धारा-176 (5) एवं 176 (1-ए) दं0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जांच।</p> <p>4. उक्त न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत पुलिस थानों से उत्पन्न होने वाले धारा-138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रायवेट परिवाद।</p> <p>5. पुलिस थाना-बड़ामलहरा, पुलिस थाना बमनौरा व पुलिस थाना भगवां से संबंधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं दुकान स्थापना अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6. बड़ामलहरा क्षेत्र के नगरपालिका अधिनियम से उद्भूत होने वाले</p>

		समस्त दांडिक प्रकरण।
19.	श्री अभिषेक दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रृंखला न्यायालय बकस्वाहा जिला-छतरपुर (म0प्र0)	<p>1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2. पुलिस थाना-बकस्वाहा एवं बाजना से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं प्राइवेट परिवाद व प्राइवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियां एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी के मामले को छोड़कर)</p> <p>3. पुलिस थाना-बकस्वाहा व बाजना से संबंधित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं द0प्र0सं0 की धारा-125 व 128 से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>4. पुलिस थाना बकस्वाहा एवं बाजना से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों के मामले में आपराधिक प्रकरणों एवं प्राइवेट परिवाद व प्राइवेट परिवादों की समस्त कार्यवाहियां एवं अपराधों का संज्ञान।</p> <p>5. पुलिस थाना-बकस्वाहा व बाजना से संबंधित धारा-176 (5) एवं 176 (1-ए) दं0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जांच।</p> <p>6. पुलिस थाना-बकस्वाहा व बाजना से संबंधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं दुकान स्थापना अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>7. पुलिस थाना-बकस्वाहा व बाजना के क्षेत्र से संबंधित खनिज विधि, पर्यावरण विधि, आबकारी वृत्त एवं मेन्टल हेल्थ तथा से संबंधित मामले।</p> <p>8. न्यायालय बकस्वाहा के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत पी0सी0 एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रोवेशन ऑफ सेक्स सेलेक्शन एक्ट 1994 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>09. बकस्वाहा क्षेत्र के नगर पालिका अधिनियम से उद्भूत होने वाले समस्त दांडिक मामले।</p> <p>10. उक्त न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत पुलिस थानों से उत्पन्न होने वाले धारा-138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रायवेट परिवाद।</p> <p>11. तहसील बकस्वाहा के समस्त थाना क्षेत्राधिकार से उद्भूत Environment (Protection) Act, 1986 से संबंधित परिवाद प्रकरण एवं उक्त अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p>
20	श्री अमोघ अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, राजनगर जिला-छतरपुर (म0प्र0)	<p>1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2. पुलिस थाना खजुराहो, थाना-राजनगर से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं प्राइवेट परिवाद व प्राइवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियां एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी के मामले को छोड़कर)।</p> <p>3. पुलिस थाना बमीठा, खजुराहो, थाना-राजनगर से संबंधित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं दं0प्र0सं0 की धारा-125 व 128 से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>4. पुलिस थाना-बमीठा, राजनगर, खजुराहो से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों के मामले में आपराधिक प्रकरणों एवं प्राइवेट परिवादों की समस्त कार्यवाहियां एवं अपराधों का संज्ञान।</p> <p>5. पुलिस थाना-राजनगर, थाना खजुराहो, थाना बमीठा से संबंधित धारा-176 (5) एवं 176 (1-ए) दं0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जांच।</p> <p>6. न्यायालय राजनगर के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत पी0सी0 एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>7. राजनगर क्षेत्र के नगर पालिका अधिनियम से उद्भूत होने वाले समस्त</p>

		<p>दांडिक मामले।</p> <p>8. उक्त न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत पुलिस थानों से उत्पन्न होने वाले धारा-138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रायवेट परिवाद।</p> <p>09. तहसील राजनगर के समस्त थाना क्षेत्राधिकार से उद्भूत Environment (Protection) Act, 1986 से संबंधित परिवाद प्रकरण एवं उक्त अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p>
21	श्री विष्णु दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, राजनगर जिला-छतरपुर (म0प्र0)	<p>1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2. पुलिस थाना बमीठा से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं प्राइवेट परिवाद व प्राइवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियां एवं अपराधों का संज्ञान (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध एवं खारिजी के मामलो को छोड़कर)।</p> <p>3. पुलिस थाना-बमीठा, राजनगर, खजुराहो से संबंधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं दुकान स्थापना अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>4. पुलिस थाना-राजनगर, खजुराहो एवं बमीठा के क्षेत्र से संबंधित खनिज विधि, पर्यावरण विधि, आबकारी विभाग एवं मेन्टल हेल्थ से संबंधित मामले।</p> <p>5. उक्त न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत पुलिस थानों से उत्पन्न होने वाले धारा-138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रायवेट परिवाद।</p>
22	श्रीमती बिंदु पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नौगांव जिला-छतरपुर (म0प्र0)	<p>1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2. पुलिस थाना अलीपुरा से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं प्राइवेट परिवाद व प्राइवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियां एवं अपराधों का संज्ञान</p> <p>3. पुलिस थाना नौगांव, हरपालपुर, ईशानगर, अलीपुरा से संबंधित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं द0प्र0सं0 की धारा-125 व 128 से संबंधित मामले।</p> <p>4. पुलिस थाना अलीपुरा से संबंधित धारा-176 (5) एवं 176 (1-ए) दं0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जांच।</p> <p>5. पुलिस थाना-नौगांव, हरपालपुर, अलीपुरा एवं ईशानगर से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों के मामलो में आपराधिक प्रकरणों एवं प्राइवेट परिवादों की समस्त कार्यवाहियां एवं अपराधों का संज्ञान।</p> <p>6. न्यायालय नौगांव के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत पी0सी0 एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>7. उक्त न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत पुलिस थानों से उत्पन्न होने वाले धारा-138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रायवेट परिवाद।</p>
23	श्री शरद जायसवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नौगांव जिला-छतरपुर (म0प्र0)	<p>1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2. पुलिस थाना हरपालपुर एवं नौगांव से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं प्राइवेट परिवाद व प्राइवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियां एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलो को छोड़कर)।</p> <p>3. पुलिस थाना हरपालपुर एवं नौगांव से संबंधित धारा-176 (5) एवं 176 (1-ए) दं0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जांच।</p> <p>4. पुलिस थाना-नौगांव, हरपालपुर, अलीपुरा एवं ईशानगर से संबंधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं दुकान स्थापना अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>5. आबकारी वृत्त नौगांव से संबंधित मामले।</p>

		6. उक्त न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत पुलिस थानों से उत्पन्न होने वाले धारा-138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रायवेट परिवाद।
24	श्री मानवेंद्र सिंह यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नौगांव जिला-छतरपुर (म0प्र0)	1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा अंतरित मामले। 2. पुलिस थाना ईशानगर से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं प्राइवेट परिवाद व प्राइवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियां एवं अपराधो का संज्ञान (खारिजी एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलो को छोड़कर)। 3. पुलिस थाना ईशानगर से संबंधित धारा-176 (5) एवं 176 (1-ए) दं0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत मृत्यु के कारणो की जांच। 4. नगर पालिका परिषद नौगांव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दाण्डिक मामलों की समस्त कार्यवाहियों। 5. पुलिस थाना-नौगांव, हरपालपुर, अलीपुरा एवं ईशानगर क्षेत्र से संबंधित, खनिज विधि, पर्यावरण विधि, एवं मेन्टल हेल्थ से संबंधित प्रकरण। 6. उक्त न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत पुलिस थानों से उत्पन्न होने वाले धारा-138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रायवेट परिवाद।

नोट-कमांक-01- महिलाओं से संबंधित अपराधों में **अभियोक्त्री के धारा-164 (5क) दं.प्र.सं. के अंतर्गत उल्लेखित एवं पॉक्सो अधिनियम में विचारणीय अपराधों के कथनों को छोड़कर** शेष अपराधों के संबंध में धारा-164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित किए जाने हेतु निम्नांकित मजिस्ट्रेट को दर्शित आरक्षी केंद्र के अनुसार कथन लिये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है :-

कं	मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद	क्षेत्राधिकार (आरक्षी केंद्र)
1.	श्री दीपक चौधरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-छतरपुर (म0प्र0)	थाना सिविल लाइन छतरपुर, सिटी कोतवाली छतरपुर एवं ओरछा रोड छतरपुर म0प्र0
2.	श्री महेंद्र सिंह रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-छतरपुर (म0प्र0)	थाना अ.जा.क. छतरपुर, थाना महाराजपुर व थाना गढ़ीमलहरा,
3.	श्री अनुराग सिंह सुमन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, छतरपुर	चौकी पड़रिया, पुलिस थाना मातगुवां, महिला पुलिस थाना छतरपुर
4.	श्री ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, लवकुशनगर, जिला-छतरपुर (म0प्र0)	पुलिस थाना हिनौता, गौरीहार व प्रकाश बम्हौरी
5.	श्री हेमंत मेहरा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, लवकुशनगर,	पुलिस थाना जुझारनगर, गोयरा एवं सरवई

	जिला-छतरपुर (म0प्र0)	
6.	श्री आशुतोष अग्निहोत्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लवकुशनगर, जिला छतरपुर म0प्र0	पुलिस थाना लवकुशनगर, चंदला, बंशिया
7	श्री विष्णुकांत मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बड़ामलहरा, जिला छतरपुर	पुलिस थाना बकस्वाहा व पुलिस थाना बाजना
8	श्री अभिषेक दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बड़ामलहरा, जिला छतरपुर	बड़ामलहरा, भगवां एवं बमनौरा
09.	श्री शरद जायसवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नौगांव	पुलिस थाना अलीपुरा एवं ईशानगर
10.	श्री मानवेन्द्र सिंह यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नौगांव	पुलिस थाना हरपालपुर एवं नौगांव
11.	श्री विष्णु दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनगर	बमीठा, थाना खजुराहो एवं थाना राजनगर
12.	श्री भूपेंद्र गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिजावर म0प्र0	पुलिस थाना किशनगढ़, थाना बिजावर एवं थाना शाहगढ़, पुलिस थाना गुलगंज, थाना सटई (चौकी पड़रिया को छोड़कर) एवं पिपट

नोट-कमांक-02- महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोक्त्री के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-164 की उपधारा-(5क) के अंतर्गत उल्लेखित विचारणीय अपराधों के संबंध में **मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय प्रकरणों में** धारा-164 दं.प्र.स. के कथन अंकित किए जाने हेतु निम्नांकित मजिस्ट्रेट को दर्शित आरक्षी केंद्र के अनुसार कथन लिये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है :-

कं	मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद	क्षेत्राधिकार (आरक्षी केंद्र)
1.	श्रीमती अन्नपूर्णा भदौरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-छतरपुर (म0प्र0)	चौकी पड़रिया, थाना अ.जा.क. छतरपुर एवं ओरछा रोड छतरपुर, पुलिस थाना सिविल लाइन छतरपुर, थाना महाराजपुर, थाना गढ़ीमलहरा, पुलिस थाना मातगुवां, महिला पुलिस थाना छतरपुर, सिटी कोतवाली छतरपुर म0प्र0
2	श्री ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, लवकुशनगर, जिला-छतरपुर (म0प्र0)	पुलिस थाना हिनौता, गौरीहार व प्रकाश बम्हौरी

3	श्री हेमंत मेहरा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, लवकुशनगर, जिला-छतरपुर (म0प्र0)	पुलिस थाना जुझारनगर, गोयरा एवं सरवई
4	श्री आशुतोष अग्निहोत्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लवकुशनगर, जिला छतरपुर म0प्र0	पुलिस थाना लवकुशनगर, चंदला, बंशिया
5	श्री विष्णुकांत मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बड़ामलहरा, जिला छतरपुर	पुलिस थाना बकस्वाहा व पुलिस थाना बाजना
6	श्री अभिषेक दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बड़ामलहरा, जिला छतरपुर	बड़ामलहरा, बमनौरा एवं भगवां
7	श्री शरद जायसवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नौगांव	पुलिस थाना अलीपुरा एवं ईशानगर
8	श्री मानवेंद्र सिंह यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नौगांव	पुलिस थाना हरपालपुर एवं नौगांव
09	श्री विष्णु दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनगर	बमीठा, थाना खजुराहो एवं थाना राजनगर
10	श्री भूपेंद्र गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिजावर म0प्र0	पुलिस थाना किशनगढ, थाना बिजावर एवं थाना शाहगढ, पुलिस थाना गुलगंज, थाना सटई (चौकी पड़रिया को छोड़कर) एवं पिपट

नोट-कमांक-03- महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोक्त्री के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-164 की उपधारा-(5क) के अंतर्गत उल्लेखित एवं पॉक्सो अधिनियम में विचारणीय अपराधों के संबंध में (मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर) धारा-164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित किए जाने हेतु अधिकृत निम्नांकित मजिस्ट्रेट को दर्शित आरक्षी केंद्र के अनुसार कथन लिये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है :-

1.	श्रीमती अन्नपूर्णा भदौरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-छतरपुर (म0प्र0)	चौकी पड़रिया, थाना अ.जा.क. छतरपुर एवं ओरछा रोड छतरपुर, पुलिस थाना सिविल लाइन छतरपुर, थाना महाराजपुर, थाना गढ़ीमलहरा, पुलिस थाना मातगुवां, महिला पुलिस थाना छतरपुर, सिटी कोतवाली छतरपुर म0प्र0
2	श्रीमती दीक्षा तनेजा अग्निहोत्री न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, लवकुशनगर, जिला-छतरपुर (म0प्र0)	पुलिस थाना हिनौता, गौरीहार व प्रकाश बम्हौरी, पुलिस थाना जुझारनगर, गोयरा एवं सरवई, पुलिस थाना लवकुशनगर, चंदला, बंशिया,
3	श्री विष्णुकांत मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बड़ामलहरा, जिला छतरपुर	पुलिस थाना बकस्वाहा व पुलिस थाना बाजना
4	श्री अभिषेक दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बड़ामलहरा, जिला छतरपुर	बड़ामलहरा, बमनौरा एवं भगवां
5	श्रीमती बिन्दु पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नौगांव	पुलिस थाना अलीपुरा एवं ईशानगर, पुलिस थाना हरपालपुर एवं नौगांव
6	श्री अमोघ अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनगर	पुलिस थाना बमीठा
7	श्री विष्णु दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनगर	थाना खजुराहो एवं थाना राजनगर
8	श्रीमती चंचल बुंदेला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिजावर म0प्र0	पुलिस थाना किशनगढ़, थाना बिजावर एवं थाना शाहगढ़, पुलिस थाना गुलगंज, थाना सटई (चौकी पड़रिया को छोड़कर) एवं पिपट

नोट:-धारा-164 दं.प्र.सं. के कथन हेतु अधिकृत न्यायिक अधिकारी के मुख्यालय से बाहर रहने या अवकाश पर होने या अन्य किसी कारणवश से कथन लेने में असमर्थ होने पर उनका प्रभार, प्रभार अनुसूची क्रमांक-"क" के अनुसार (संबंधित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय को छोड़कर) माना जावेगा

प्रभार

क- निम्नलिखित तालिका के प्रथम स्तंभ में अंकित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति/न्यायालय के रिक्त होने/अवकाश पर रहने की दशा में निम्नानुसार द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्तंभ में अंकित मजिस्ट्रेट के द्वारा आवश्यक दांडिक कार्य संपादित किए जावेंगे।

नोट:- तहसील लवकुशनगर में समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने की दशा में श्री अरविंद गुर्जर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0 के द्वारा तथा उनकी अनुपस्थिति/अवकाश की दशा में उपस्थित वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संपादन किया जावेगा।

ख- किशोर न्याय बोर्ड छतरपुर में किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के अवकाश/मुख्यालय से बाहर/पद रिक्त अथवा स्थानांतरण होने की दशा में निम्नलिखित क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्तंभ के मजिस्ट्रेट द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के न्यायालय के आवश्यक कार्य संपादित किए जावेंगे।

01.	श्री महेंद्र सिंह रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, छतरपुर, (म0प्र0)	श्री अनुराग सिंह सुमन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, छतरपुर	श्री अरविंद गुर्जर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, छतरपुर (म0प्र0)	श्री राजू सिंह डाबर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, छतरपुर, (म0प्र0)
-----	---	--	--	--

सामान्य निर्देश

- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के सुनवाई/क्षेत्राधिकार के मामलों में यह कार्य विभाजन पत्र प्रभावी नहीं होगा।
 - न्यायालयों में पूर्व से विचारण हेतु लंबित प्रकरणों को यह कार्य विभाजन आदेश प्रभावित नहीं करेगा।
 - न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी अनुपस्थिति में प्रभार सूची क्रमांक-“क” के अनुसार आवश्यक आपराधिक कार्य जैसे तात्पर्य रिमाण्ड, जमानत, उपस्थिति माफी आवेदन, वाहन सुपुर्दाना आवेदन पत्रों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों से सशक्त होने पर समरी प्रक्रिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करना चाहते हैं का संपादन किया जावेगा।
 - इस कार्य विभाजन आदेश के अंतर्गत जिन मजिस्ट्रेट को नए थाना/क्षेत्राधिकार आवंटित किए गए हैं उन थानों से संबंधित लंबित रिमाण्ड, सुपुर्दगी एवं अन्य पत्रावली अविलंब संबंधित नए क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों को प्रेषित किये जावें।
 - छतरपुर में स्थित न्यायालयों को छोड़कर, ब्राह्य न्यायालयों में वर्तमान में जो न्यायालय रिक्त है उनके द्वारा जारी किए गए सभी तरह के अपराधों के गिरफ्तारी वारंटो/स्थायी गिरफ्तारी वारंटो एवं अपील/रिवीजन पश्चात जो आदेश/निर्देश वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त होते हैं उनके संबंध में अग्रिम कार्यवाही संबंधित थाने के मजिस्ट्रेट द्वारा ही संपादित की जावेगी।
- नोट:-**थाना गढ़ीमलहरा व थाना महाराजपुर का क्षेत्राधिकार जिला छतरपुर में स्थापित होने के पूर्व के थाना गढ़ीमलहरा एवं थाना महाराजपुर तहसील नौगांव से संबंधित था। अतः उक्त समय के सभी तरह के अपराधों के गिरफ्तारी वारंटो/स्थायी गिरफ्तारी वारंटो एवं अपील/रिवीजन पश्चात वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त आदेश/निर्देश उनके संबंध में अग्रिम कार्यवाही श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नौगांव के द्वारा संपादित किया जावेगा।
- रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान विशेष न्यायालय द्वारा विचारित अपराधों के संबंध में प्रथम रिमाण्ड प्रदान किया जा सकेगा।
 - इस आदेश के निर्वहन में किसी प्रकार भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जावे।
 - छतरपुर नगर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत चलित न्यायालय की व्यवस्था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अथवा सी.जे.एम. के निर्देशानुसार की जावेगी।
 - छतरपुर जिले की तहसील में पदस्थ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यकतानुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त कर संबंधित क्षेत्र में चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
 - जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।
 - आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।
 - माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अथवा माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपार्पण कार्यवाही के दौरान उपार्पण आदेश किये जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी एवं मुद्देमाल भी रिकार्ड के साथ भेजा सुनिश्चित किया जावे।

13. विचाराधीन बण्डल फाईल (रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र) संबंधित आरक्षी केंद्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जेएमएफसी के न्यायालय में भेजे जावे।
14. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के मेमोरेण्डम क्रमांक-1295/सीजे-11/890 जबलपुर दिनांक 18.11.2013 के पालन में चालान प्रस्तुत किये जाते समय मुद्देमाल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
15. प्रकरण को धारा-325 दं.प्र.सं. के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजे जाने के साथ ही जप्तशुदा संपत्ति भी आवश्यक रूप से भेजी जावे।
16. ग्राम न्यायालयों के न्यायाधिकारी के अवकाश या उपलब्ध नहीं होने की दशा में ग्राम न्यायालय का आवश्यक कार्य आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में दर्शाए गए प्रभार सूची अनुसार प्रभारी न्यायिक अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा।
17. धारा-52-क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संबंधित आरक्षी केंद्रों से उद्भूत धारा-52-क आवेदन पत्र का निराकरण प्रभावी कार्य विभाजन/वितरण आदेश अनुसार अपनी क्षेत्राधिकारिता वाले आरक्षी केंद्र का निराकरण करेंगे।
श्री महेंद्र सिंह रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छतरपुर म0प्र0 आरक्षी केंद्र सिटी कोतवाली छतरपुर, सिविल लाइन छतरपुर, थाना ओरछा रोड छतरपुर एवं थाना यातायात छतरपुर म0प्र0 से प्रस्तुत होने वाले धारा-52क एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र का निराकरण करेंगे।

सही / -

(डॉ. रविकांत सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छतरपुर म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक-/2023

छतरपुर, दिनांक 10.06.2023

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, छतरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, छतरपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. माननीय प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ /पंचम/षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय छतरपुर को सादर सूचनार्थ।
4. माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय,..... नौगांव/बिजावर/लवकुशनगर को सादर सूचनार्थ।
5. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, छतरपुर/नौगांव/बिजावर/राजनगर/लवकुशनगर/बड़ामलहरा/श्रंखला न्यायालय बकस्वाहाकी ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. जिला मजिस्ट्रेट छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
7. पुलिस अधीक्षक, छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने हेतु आशयित।
8. वनमण्डलाधिकारी छतरपुर को सूचनार्थ।
9. जिला अभियोजन अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं समस्त ए0डी0पी0ओ0 को सूचित करने हेतु प्रेषित।
10. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, छतरपुर/नौगांव/ बिजावर/ राजनगर/ लवकुशनगर/ बड़ामलहरा/ श्रंखला न्यायालय बकस्वाहा की ओर सूचनार्थ।
11. श्रम अधिकारी, जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
12. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, छतरपुर/नौगांव की ओर सूचनार्थ।
13. जिला आबकारी अधिकारी, छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. निष्पादन लिपिक माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
15. निष्पादन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
16. केन्द्रीय पंजीयन लिपिक, कम्प्यूटर अनुभाग छतरपुर/ राजनगर / नौगांव /बिजावर/लवकुशनगर/बड़ामलहरा/बकस्वाहा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
17. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट जिला न्यायालय छतरपुर म0प्र0 की ओर संबंधित को ई-मेल पर प्रेषित करने हेतु पालनार्थ।

(डॉ. रविकांत सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छतरपुर म.प्र.